कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.32/2019/2140 कांकेर, दिनांक/16/08/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :– **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.- Regarding Registration No. FP/CG/Other/27773/2017**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/ 115–720/3298 दिनांक 04.10.2018

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि आवेदनकर्ता प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर द्वारा कांकेर वनमंडल के अंतर्गत कांकेर परिक्षेत्र के नांरगी वन खण्ड नाथियानवागांव कक्ष क्रमांक 346 में 4.309 हे. वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तैयार व्यपवर्तन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./1458 दिनांक 06.08.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

	उठाये गये आपत्ति बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	कलेक्टर कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र वेब पर अपलोड नहीं किया गया है।	कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र वेब पर अपलोड किये गये है; जिसकी सूचना प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर के पत्र क्रमांक/354 दिनांक 10.07.2019 के माध्यम से वनमंडलाधिकारी को दी गई है, हॉडकापी संलग्न है।
2.	वन मण्डलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo - Referenced Map एवं Toposheet हस्ताक्षरित नक्शा अपलोड नहीं किया गया है।	वन मण्डलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo - Referenced Map की हस्ताक्षरित नक्शा वेब पर अपलोड किया गया है तथा Toposheet बड़ी साईज में होने के कारण हस्ताक्षरित नक्शा को अपलोड नहीं किया गया है, बल्कि डी.जी.पी.एस. सर्वे से प्राप्त नक्शा को वेब पर अपलोड किया गया है, हॉडकापी संलग्न है।
3.	आवेदित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर, कांकेर का प्रमाण पत्र संलग्न है तथा अनुवर्ती पृष्ठों में ग्राम सभा नवागांव की वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधी कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न है, किन्तु प्रस्ताव के साथ Sub Division Committee का कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।	सरपंच ग्राम पंचायत नाथियानवगांव द्वारा जारी कार्यवाही विवरण अनुसार Sub Division Committee का कार्यवाही विवरण एवं कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी समस्त दस्तावेज को वेब पर अपलोड किया गया है तथा प्रस्ताव के पेज क्रमांक 99 में Sub Division Committee का कार्यवाही विवरण संलग्न है, हॉडकापी संलेग्न है।

Scanned by CamScanner

4.	पॉलीटेक्निक निर्माण हेु प्रस्तावित क्षेत्र Site Specific है। अतः कलेक्टर, जिला कांकेर से प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें।	कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/769/कले./भू अभि./2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त को वेब पर अपलोड किया गया है, हॉडकापी संलग्न है।
5.	kml file के परीक्षण में पाया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में निर्माण कार्य दिख रहा है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है। आपके द्वारा उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये। यदि निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दिया जाये।	प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर को शासन से बजट प्राप्त होने के कारण लेप्स न हो इसलिए तत्कालिन कलेक्टर एवं तत्कालिन वन मण्डलाधिकारी द्वारा छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो उन्हे गृह जिला में ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सके को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण भारत सरकार जनजातिय कार्य मंत्रालय के पत्रांक 23011/15/2008– एस.जी.–2 तिथि 18 मई 2009 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित 13 सुविधाओं में उल्लेखित नियमों के तहत Skill Upgradation or vocational training centres हेतु व.म.अ.कांकेर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दि. 03.05.2013 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर को व.म.अ.द्वारा रकबा 0.999 हें. विपथन की अनुमति दी गई थी, जिसमें ही उनके द्वारा वहॉ शासकीय पॉलीटेक्नि कॉलेज निर्माण गया है, शेष रकबा 3.310 हे. में कोई कार्य नहीं किया गया है। व.म.अ.कांकेर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2015/3839 दिनांक 10.08.2015 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर को रकबा 0.999 हें. को रकबा 3.310 हें. जोड़ कर कुल रकबा 4.309 हें. का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल में किसी भी प्रकार के वृक्षों को क्षति नहीं पहुॅचाई गई है।

अतः प्रकरण के प्रस्ताव में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर पुनरीक्षित प्रस्ताव एवं प्रभावित भूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 04–04 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– **प्रस्ताव एवं प्रभावित भूमि व वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04–04 प्रतियों में।**

16/08

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.32/2019/2141 कांकेर, दिनांक/16/08/2019

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. **वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमंडल** को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1458 दिनांक 06.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. **प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, नाथिया नवागांव कांकेर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/08

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

Scanned by CamScanner